रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14102022-239642
CG-DL-W-14102022-239642

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2022, शनिवार/भाद्र 27—आश्विन 2, 1944
No. 19] NEW DELHI, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2022, SATURDAY/BHADRA 27– ASVINA 2, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

आ.अ. 138.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 35–बिस्फी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना द्वारा पत्र स. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-35)बिस्फी/7802 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, जो बिहार के 35–बिस्फी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अरविन्द कुमार मिश्रा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अरविन्द कुमार मिश्रा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अरविन्द कुमार मिश्रा द्वारा 07 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 930/जि.नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 930/जि.नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अरविन्द कुमार मिश्रा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अरविन्द कुमार मिश्रा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 35-बिस्फी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अरविन्द कुमार मिश्रा, निवासी-ग्राम+पोस्ट-धकजारी, थाना-अरेर, जिला-मधुबनी, बिहार, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/35/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2022

O.N. 138.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 35-Bisfi Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 18th December, 2020, vide letter no.63 submitted by the District Election Officer, Madhubhani, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-35)Bisfi/7802, dated 23rd December,2020, Shri Arvind Kumar Mishra, a contesting candidate of Bihar from 35-Bisfi Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Madhubhani, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Arvind Kumar Mishra, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Arvind Kumar Mishra was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 07th October, 2021, at the address given by Shri Arvind Kumar Mishra, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Madhubhani, vide its letter no. 930/Nirvachan dated 08th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Madhubhani, in his Supplementary Report, vide its letter No. 930/Nirvachan dated 08th November, 2021 has reported that Shri Arvind Kumar Mishra, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Arvind Kumar Mishra, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Arvind Kumar Mishra, resident of Village+Post- Dhakjaari, Police Station- Arar, District- Madhubhani, Bihar and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020, in 35- Bisfi Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/35/CEMS-III]

By Order

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

आ.अ. 139.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 35–बिस्फी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र स. 63 दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-35)बिस्फी/7802 के जरिए अग्रेषित दिनांक 23 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी, जो बिहार के 35–बिस्फी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी द्वारा 07 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 930/जि.नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मधुबनी द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 930/जि.नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 35-बिस्फी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी, निवासी-ग्राम-मदार, पोस्ट-जितवारपुर, थाना-राहिका, जिला-मधुबनी, बिहार, पिन कोड-847213, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/35/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th July, 2022

O.N. 139.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 35-Bisfi Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 18th December, 2020, vide letter no.63 submitted by the District Election Officer, Madhubhani, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-35)Bisfi/7802, dated 23rd December,2020, Shri Maheshwar Prasad Chaudhary, a contesting candidate of Bihar from 35-Bisfi Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Madhubhani, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Maheshwar Prasad Chaudhary, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Maheshwar Prasad Chaudhary was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 07th October, 2021, at the address given by Shri Maheshwar Prasad Chaudhary, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Madhubhani, vide its letter no. 930/Nirvachan dated 08th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Madhubhani, in his Supplementary Report, vide its letter No. 930/Nirvachan dated 08th November, 2021 has reported that Shri Maheshwar Prasad Chaudhary, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Maheshwar Prasad Chaudhary, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such

person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Maheshwar Prasad Chaudhary, resident of Gram- Madar, Post-Jitwarpur, Thana- Rahika, District- Madhubhani, Bihar-847213 and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar, 2020, in 35- Bisfi Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/35/CEMS-III]

By Order

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

आ.अ. 140.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 01–वाल्मीकि नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र स. 2583 दिनांक 15 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-01)वाल्मीकिनगर/7895 के जरिए अग्रेषित दिनांक 29 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री साकेत कुमार पाठक, जो बिहार के 01–वाल्मीकि नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री साकेत कुमार पाठक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री साकेत कुमार पाठक को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री साकेत कुमार पाठक द्वारा 03 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 01 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 839/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 01 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 839/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री साकेत कुमार पाठक ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री साकेत कुमार पाठक निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 01-वाल्मीकिनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री साकेत कुमार पाठक, ग्राम-पटखौली, थाना-बगाहा, पोस्ट ऑफिस-मालकौली, जिला-पश्चिम चम्पारण, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/01/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th July, 2022

O.N. 140.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 01-Valmikinagar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 15th December, 2020, vide letter no. 2583 submitted by the District Election Officer, Paschim Champaran, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-01)Valmikinagar/7895, dated 29th December,2020, Shri Saket Kumar Pathak, a contesting candidate from 01-Valmikinagar Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Paschim Champaran, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Saket Kumar Pathak, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Saket Kumar Pathak was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 03rd August, 2021, at the address given by Shri Saket Kumar Pathak, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Paschim Champaran, vide its letter no. 839/Nirvachan dated 01st September, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Paschim Champaran, in his Supplementary Report, vide its letter No. 839/Nirvachan dated 01st September, 2021 has reported that Shri Saket Kumar Pathak, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Saket Kumar Pathak, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Saket Kumar Pathak, resident of Village- Patkholi, Police Station- Bagaha, Post Office- Maalkouli, District- Paschim Champaran, and a contesting candidate from General Election to the Assembly Constituency of Bihar,2020, in 01- Valmikinagar Assembly Constituency of the state of Bihar, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/01/CEMS-III]

By Order

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आ.अ. 141.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 91–बोचहाँ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार के पत्र सं. 2329 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-91)बोचहाँ(अ.जा.)/20 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री लाल बाबू पासवान, जो बिहार के 91–बोचहाँ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथा पेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री लाल बाबू पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री लाल बाबू पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के

अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री लाल बाबू पासवान द्वारा 17 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 941के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 941 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री लाल बाबू पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री लाल बाबू पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययोंका लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 91– बोचहाँ(अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लाल बाबू पासवान, निवासी-ग्राम-मानिकपुर, पोस्ट-बुधनगरा राधा, थाना-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/91/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

O.N. 141.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 91-Bochahan(SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2329 submitted by the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-91) Bochahan(SC)/20, dated 4th January,2021, Shri Lal Babu Paswan, a contesting

candidate from 91-Bochahan(SC) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Lal Babu Paswan, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Lal Babu Paswan was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 17th July, 2021, at the address given by Shri Lal Babu Paswan, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Muzaffarpur, vide its letter no. 941/Nirvachan dated 21st December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarpur, in his Supplementary Report, vide its letter No. 941/Nirvachan dated 21st December, 2021 has reported that Shri Lal Babu Paswan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Lal Babu Paswan,** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Lal Babu Paswan,** resident of Village- Maanikpur, Post- Budhnagra Radha, Thana- Musahari, District- Muzaffarpur, and a contesting candidate from 91- Bochahan(SC), during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/91/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आ.अ. 142.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 88–गायघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार के पत्र सं. 2326 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-88)गायघाट/236 के जरिए अग्रेषित दिनांक 08 जनवरी, 2021

की रिपोर्ट के अनुसार श्री दीपक राय उर्फ विपत राय, जो बिहार के 88–गायघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दीपक राय उर्फ विपत राय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दीपक राय उर्फ विपत राय को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री दीपक राय उर्फ विपत राय द्वारा 07 सितम्बर, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 778 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 778 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दीपक राय उर्फ विपत राय ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री दीपक राय उर्फ विपत राय निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 88–गायघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दीपक राय उर्फ विपत राय, ग्राम+पोस्ट-बाघाखाल, थाना-गाय घाट, जिला-मुजफ्फरपुर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/88/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

O.N. 142.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 88-Gaighat Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2326 submitted by the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-88)Gaighat/236, dated 8th January,2021, Shri Deepak Roy urf Vipit Roy, a contesting candidate from 88-Gaighat Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Deepak Roy urf Vipit Roy, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Deepak Roy urf Vipit Roy was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 07th September, 2021, at the address given by Shri Deepak Roy urf Vipit Roy, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Muzaffarpur, vide its letter no. 778/Nirvachan dated 4th October, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarpur, in his Supplementary Report, vide its letter No. 778/Nirvachan dated 4th October, 2021 has reported that Shri Deepak Roy urf Vipit Roy, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Deepak Roy urf Vipit Roy, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Deepak Roy urf Vipit Roy, resident of Village+Post-Baghakhaal, Thana- Gaighat, District- Muzaffarpur, and a contesting candidate from 88- Gaighat, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/88/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आ.अ. 143.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 88–गायघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार के पत्र सं. 2326 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, के पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-88)गायघाट/236 के जरिए अग्रेषित दिनांक 08 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रिंस कुमार, जो बिहार के 88–गाय घाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रिंस कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री प्रिंस कुमारको निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री प्रिंस कुमार द्वारा 07 सितम्बर, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 778 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 778 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रिंस कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री प्रिंस कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 88– गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री प्रिंस कुमार, ग्राम-जारंग डीह,पोस्ट-जारंग डयोढ़ी, थाना-गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर-843118, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/88/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

O.N. 143.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 88-Gaighat Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2326 submitted by the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-88)Gaighat/236, dated 8th January,2021, Shri Prince Kumar, a contesting candidate from 88-Gaighat Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Prince Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Prince Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 07th September, 2021, at the address given by Shri Prince Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Muzaffarpur, vide its letter no. 778/Nirvachan dated 4th October, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarpur, in his Supplementary Report, vide its letter No. 778/Nirvachan dated 4th October, 2021 has reported that Shri Prince Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Prince Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Prince Kumar, resident of Village- Jaarang Deh, Post- Jaarang Dyodi, Thana- Gaighat, District- Muzaffarpur, and a contesting candidate from 88- Gaighat, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/88/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

आ.अ. 144.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 02– रामनगर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,पश्चिम चम्पारण, बिहार के पत्र सं. 2583 दिनांक 15 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-02)रामनगर(अ.जा.)/7896 के जरिए अग्रेषित दिनांक 29 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री लोकेश राम, जो बिहार के 02–रामनगर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री लोकेश राम को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री लोकेश राम को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री लोकेश राम द्वारा 06 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 01 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 839/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा अपने दिनांक 01 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 839/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री लोकेश राम ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री लोकेश राम निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 02-रामनगर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री लोकेश राम, निवासी-ग्राम-बेलसंडी, थाना-गौनाहा, पोस्टऑफिस-बेलसंडी, जिला-पश्चिम चम्पारण, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/02/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd August, 2022

O.N. 144.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 02-Ramanagar Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 15th December, 2020, vide letter no.2583 submitted by the District Election Officer, Paschim Champaran, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-02)Ramanagar/7896, dated 29th December,2020, Shri Lokesh Ram, a contesting candidate Bihar from 02-Ramanagar Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Paschim Champaran, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Lokesh Ram, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Lokesh Ram was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 06th August, 2021, at the address given by Shri Lokesh Ram, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Paschim Champaran, vide its letter no. 839/Nirvachan dated 01st September, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Paschim Champaran, in his Supplementary Report, vide its letter No. 839/Nirvachan dated 01st September, 2021 has reported that Shri Lokesh Ram, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Lokesh Ram, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Lokesh Ram, resident of Village- Balsandi, Police Station- Gonaha, Post Office- Balsandi, District- Paschim Champaran, and a contesting candidate from 02- Ramanagar, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020,to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/02/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 145.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 148–अलौली (अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खगड़िया, के पत्र सं. 2401 दिनांक 21 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-148)अलौली(अ.जा.)/30के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती नीलम देवी, जो बिहार के148–अलौली(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खगड़िया, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती नीलम देवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती नीलम देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती नीलम देवी द्वारा 10 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, खगड़िया द्वारा अपने दिनांक 19 जुलाई, 2021 के पत्र संख्या 220 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, खगड़िया द्वारा अपने दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 365 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती नीलम देवी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती नीलम देवी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 148-अलौली(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती नीलम देवी, निवासी-आनंदपुर मरण पिपरपाती, थाना-अलौली, जिला-खगड़िया,इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/148/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 145.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 148-Alauli (SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 21st December, 2020, vide letter no.2401 submitted by the District Election Officer, Khagaria, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-148)Alauli (SC)/30, dated 04th January,2021, Smt. Neelam Devi, a contesting candidate from 148-Alauli (SC) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Khagaria, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Neelam Devi, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Neelam Devi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by her on 10th July, 2021, at the address given by Smt. Neelam Devi, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Khagaria, vide its letter no. 220 dated 19th July, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Khagaria, in his Supplementary Report, vide its letter No. 365 dated 28th October, 2021 has reported that Smt. Neelam Devi, has neither submitted any representation nor any

statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Neelam Devi, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Neelam Devi, resident of Anandpur Maran Piparpaati, Police Station--Alauli , District- Khagaria, and a contesting candidate from 148- Alauli (SC) , during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/148/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 146.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 केद्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,144–मटिहानी विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-144)मटिहानी/7738 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अमरेश राय, जो बिहार के 144–मटिहानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमरेश राय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमरेश राय को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अमरेश राय द्वारा 28 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूस राय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 713 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 553 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमरेश रायने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अमरेश राय निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययोंका लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगाऔर ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 144-मटिहानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमरेश राय, ग्राम-रचियाही पुराना टोला, वार्ड स.-9, पोस्ट-रचियाही, थाना-मटिहानी, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/144/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 146.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 144-Matihani Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-144)Matihani/7738, dated 21st December,2020, Shri Amreesh Roy, a contesting candidate of Independent of Bihar from 144-Matihani Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Amreesh Roy, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Amreesh Roy was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 28th July, 2021, at the address given by Shri Amreesh Roy, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 713 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 553 dated 26th April,2021 has reported that Shri Amreesh Roy, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Amreesh Roy, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Amreesh Roy, resident of Village- Rachiyahi Old Tola, Ward No.-9, Post- Rachiyahi, Police Station- Matihani, and a contesting candidate from 144- Matihani, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/144/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 147.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,144–मटिहानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-144)मटिहानी/7738 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अमीष कुमार, जो बिहार के 144–मटिहानी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमीष कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमीष कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्ययका अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अमीष कुमार द्वारा 05 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगू सराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 714 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 553 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमीष कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अमीष कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 144-मटिहानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमीष कुमार, ग्राम+पोस्ट-केशावे, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/144/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 147.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 144-Matihani Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-144)Matihani/7738, dated 21st December,2020, Shri Amish Kumar, a contesting candidate of Independent of Bihar from 144-Matihani Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Amish Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Amish Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 05th August, 2021, at the address given by Shri Amish Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 714 dated 23rd September, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 553 dated 26th April,2021 has reported that Shri Amish Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Amish Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Amish Kumar, resident of Village+Post- Keshaava, District-Begusarai, Bihar- and a contesting candidate from 144- Matihani, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/144/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 148.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 93–कुढ़नी विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना द्वारा पत्र स. 2331 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-93)कुढ़नी/285 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विरेन्द्र कुमार, जो बिहार के 93–कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विरेन्द्र कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विरेन्द्र कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा 17 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 776 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 776 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विरेन्द्र कुमारने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री विरेन्द्र कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्वअधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गयाहै कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययोंका लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्यनहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हितघोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 93-कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विरेन्द्र कुमार, निवासी-ग्राम-गोपालपुर राजा राम, डाकघर-राजापाकर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/93/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 148.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 93-Kudhni Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2331 submitted by the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-93)Kudhni/285, dated 11th January,2021, Shri Virendra Kumar, a contesting candidate from 93-Kudhni Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Virendra Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Virendra Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 17th July, 2021, at the address given by Shri Virendra Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Muzaffarpur, vide its letter no. 776/Nirvachan dated 4th October, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarpur, in his Supplementary Report, vide its letter No. 776/Nirvachan dated 4th October, 2021 has reported that Shri Virendra Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Virendra Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Virendra Kumar, resident of Village- Gopalpur Raja Ram, Post-Rajapakar, Thana- Sakra, District- Muzaffarpur, a contesting candidate from 93- Kudhni Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/93/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 149.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 89–औराई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार के पत्र सं. 2327 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-89)औराई/17 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनिश कुमार, जो बिहार के89–औराई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अनिश कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनिश कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अनिश कुमार द्वारा 13 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 777 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के पत्र संख्या 777 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनिश कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अनिश कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 89-औराई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनिश कुमार, निवासी-ग्राम+पोस्ट-बसुआ, थाना-औराई, जिला-मुजफ्फरपुर-843321, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/89/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 149.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 89-Aurai Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2327 submitted by the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-89)Aurai/17, dated 4th January, 2021, Shri Anish Kumar, a contesting candidate from 89-Aurai Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Muzaffarpur, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Anish Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Anish Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 13th August, 2021, at the address given by Shri Anish Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Muzaffarpur, vide its letter no. 777/Nirvachan dated 4th October, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Muzaffarpur, in his Supplementary Report, vide its letter No. 777/Nirvachan dated 4th October, 2021 has reported that Shri Anish Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Anish Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Anish Kumar, resident of Village+Post- Basua, Thana- Aurai, District- Muzaffarpur- 843321 and a contesting candidate from 89- Aurai, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/89/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 150.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 60–रुपौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार के पत्र सं. 2094 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-60)रुपौली/8000 के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती रूबी कुमारी, जो बिहार के60–रुपौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती रूबी कुमारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती रूबी कुमारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती रूबी कुमारी द्वारा 14 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा अपने दिनांक 13 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 438 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा अपने दिनांक 13 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 438 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती रूबी कुमारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती रूबी कुमारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 60-रुपौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती रूबी कुमारी, निवासी-पति-सुमन कुमार मंडल, गांव-धुसार,थाना+डाकघर-टिक्कापट्टी, ब्लॉक-रुपौली, जिला-पूर्णिया, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/60/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 150.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 60-Rupauli Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, vide letter no.2094 submitted by the District Election Officer, Purnea, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-60)Rupauli/8000, dated 31st December,2020, Smt. Rubi Kumari, a contesting candidate from 60-Rupauli Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Purnea, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Rubi Kumari, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Rubi Kumari was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by her on 14th July, 2021, at the address given by Smt. Rubi Kumari, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Purnea, vide its letter no. 438/Nirvachan dated 13th August, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Purnea, in his Supplementary Report, vide its letter No. 438/Nirvachan dated 13th August, 2021 has reported that Smt. Rubi Kumari, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Rubi Kumari, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Rubi Kumari, resident of W/O Suman Kumar Mandal,Village-Dushaar, Post+Police Station- Tikkapatti, Block-Rupauli, District- Purnea, and a contesting candidate from 60-Rupauli , during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/60/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 151.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र स. 1500 दिनांक 26 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-46)नरपतगंज/107 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री पप्पू कुमार सिंह, जो बिहार के 46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः,जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री पप्पू कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री पप्पू कुमार सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्ययका अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री पप्पू कुमार सिंह द्वारा 20 जुलाई, 2021 को प्राप्त कियागया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 30 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 539/जि.नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 03 मार्च, 2022 के पत्र संख्या 110/जि.नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री पप्पू कुमार सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री पप्पू कुमार सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 46-नरपतगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री पप्पू कुमार सिंह,निवासी-ग्राम+डाकघर-पिथौरा,थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/46/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 151.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 46-Narpatganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 26th December, 2020, vide letter no.1500 submitted by the District Election Officer, Araria, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-46)Narpatganj/107, dated 5th January,2021, Shri Pappu Kumar Singh, a contesting candidate from 46-Narpatganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Araria, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the

Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Pappu Kumar Singh, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Pappu Kumar Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 20th July, 2021, at the address given by Shri Pappu Kumar Singh, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Araria, vide its letter no. 539/Nirvachan dated 30th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Araria, in his Supplementary Report, vide its letter No. 110/Nirvachan dated 03rd March, 2022 has reported that Shri Pappu Kumar Singh, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Pappu Kumar Singh, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Pappu Kumar Singh, resident of Village+Post- Pithora, P.S.- Narpatganj, District- Araria, and a contesting candidate from 46- Narpatganj, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/46/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 152.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र स. 1500 दिनांक 26 दिसंबर, 2020 के पत्र सं.EXP.-21/2020(खंड-46)नरपतगंज/107 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री आलोक कुमार, जो बिहार के46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः,जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री आलोक कुमा रको कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री आलोक कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा नप्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री आलोक कुमार द्वारा 13 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 30 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 539/जि.नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गईहै;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 03 मार्च, 2022 के पत्र संख्या 110/जि.नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री आलोक कुमारने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री आलोक कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययोंका लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 46-नरपतगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री आलोक कुमार, निवासी-कोसी कॉलोनी, सागर चौक, मधुरा, नरपतगंज, जिला-अररिया, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/46/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 152.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 46-Narpatganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 26th December, 2020, vide letter no.1500 submitted by the District Election Officer, Araria, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-46)Narpatganj/107, dated 5th January,2021, Shri Alok Kumar, a contesting candidate

from 46-Narpatganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Araria, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Alok Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Alok Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 13th July, 2021, at the address given by Shri Alok Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Araria, vide its letter no. 539/Nirvachan dated 30th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Araria, in his Supplementary Report, vide its letter No. 110/Nirvachan dated 03rd March, 2022 has reported that Shri Alok Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Alok Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Alok Kumar, resident of Koshi Colony, Sagar Chowk, Madhura, Narpatganj, District- Araria, and a contesting candidate from46- Narpatganj, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/46/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 153.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थीके निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखेकी सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र स. 1500 दिनांक 26 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-46)नरपतगंज/107 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मो. अबुबकर, जो बिहार के46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः,जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मो. अबुबकर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए मो. अबुबकर को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस मो. अबुबकर द्वारा 19 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 30 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 539/जि.नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 03 मार्च, 2022 के पत्र संख्या110/जि.नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मो. अबुब करने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि मो. अबुबकर निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्यनहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हितघोषित करेगाऔर ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 46-नरपतगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मो. अबुबकर, निवासी-ग्राम+डाकघर+पंचायत-वीरनगर वेस्ट, वार्ड न. 3,थाना-भारगामा, जिला-अररिया, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 6/बिहार/वि०स०/46/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 153.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 46-Narpatganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 26th December, 2020, vide letter no.1500 submitted by the District Election Officer, Araria, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-46)Narpatganj/107, dated 5th January,2021, Mohammad Abubakar, a contesting candidate from 46-Narpatganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Araria, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Mohammad Abubakar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Mohammad Abubakar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 19th July, 2021, at the address given by Mohammad Abubakar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Araria, vide its letter no. 539/Nirvachan dated 30th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Araria, in his Supplementary Report, vide its letter No. 110/Nirvachan dated 03rd March, 2022 has reported that Mohammad Abubakar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Mohammad Abubakar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Mohammad Abubakar, resident of Post+Panchayat- Veernagar West, Ward No. 3, P.S.- Bhaargaama, District- Araria, and a contesting candidate from 46- Narpatganj, during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/46/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

आ.अ. 154.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना द्वारा पत्र स. 1500 दिनांक 26 दिसंबर, 2020 के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-46)नरपतगंज/107के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हारून, जो बिहार के 46–नरपतगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः,जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए हारून को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए हारून को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्ययका अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस हारून द्वारा 16 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 30 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 539/जि.नि.के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अररिया द्वारा अपने दिनांक 03 मार्च, 2022 के पत्र संख्या 110/जि.नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हारून ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि हारून निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 46-नरपतगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हारून, निवासी-पुरानी जोगबानी, वार्ड न.-02, डाकघर+थाना-जोगबानी, जिला-अररिया, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/46/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th August, 2022

O.N. 154.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 46-Narpatganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 26th December, 2020, vide letter no.1500 submitted by the District Election Officer, Araria, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-46)Narpatganj/107, dated 5th January,2021, Harun, a contesting candidate from 46-Narpatganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Araria, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Harun, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Harun was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 16th July, 2021, at the address given by Harun, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Araria, vide its letter no. 539/Nirvachan dated 30th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Araria, in his Supplementary Report, vide its letter No. 110/Nirvachan dated 03rd March, 2022 has reported that Harun, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Harun, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Harun, resident of Old Jogbani, Ward No. 2, Post+ Thana- Jogbaani, District- Araria, and a contesting candidate from 46- Narpatganj, druing General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/46/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

आ.अ. 155.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,168–लखीसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखेदाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लखीसराय,के पत्र सं.1650 दिनांक 29दिसंबर,2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी,बिहार द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-168)लखीसराय/106 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रणय कुमार, जो बिहार के168–लखीसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लखीसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री प्रणय कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री प्रणय कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री प्रणय कुमार द्वारा 06 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, लखीसराय द्वारा अपने दिनांक 05 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 480/निर्वाचनके जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लखीसराय द्वारा अपने दिनांक 05 अगस्त, 2021 के पत्र संख्या 480/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री प्रणय कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री प्रणय कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करन में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 168-लखीसराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री प्रणय कुमार, प्रतिभा भवन, श्रीकृष्ण रोड, अपोजिट बेलन बज़ार मस्जिद, थाना-कासिम बज़ार, पोस्ट-मुंगेर, जिला-मुंगेर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/168/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

O.N. 155.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 168-Lakhisarai Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 29th December, 2020, vide letter no.1650 submitted by the District Election Officer, Lakhisarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-168)Lakhisarai/106, dated 05th January,2021, Shri Pranay Kumar, a contesting candidate from 168-Lakhisarai Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Lakhisarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Pranay Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Pranay Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 06th July, 2021, at the address given by Shri Pranay Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Lakhisarai, vide its letter no. 480/Nirvachan dated 05th August, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Lakhisarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 480/Nirvachan dated 05th August, 2021 has reported that Shri Pranay Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Pranay Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Pranay Kumar, resident of Prathibha Bhavan, Shri Krishan Road, OPP- Belan Bzaar Masjid, Thana-Kaasim Bzaar,Post- Munger,Dist.- Munger, a contesting candidate from 168-Lakhisarai, in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/168/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

आ.अ. 156.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 केद्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,143–तेघड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-143)तेघड़ा/7735 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री चंदन महतो, जो बिहार के143–तेघड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री चंदन महतो को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री चंदन महतो को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री चंदन महतो द्वारा 05 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 712 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 552 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री चंदन महतो ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने

निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री चंदन महतो निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 143-तेघड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चंदन महतो, ग्राम+पोस्ट-सिमरिया घाट बिन्द टोली, थाना-बरौनी, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/143/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2022

O.N. 156.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 143-Teghra Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-143)Teghra/7735, dated 21st December,2020, Shri Chandan Mehto, a contesting candidate of Bihar from 143-Teghra Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Chandan Mahto, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Chandan Mahto was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 05th August, 2021, at the address given by Shri Chandan Mahto, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 712 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 552 dated 26th April,2021 has reported that Shri Chandan Mahto, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Chandan Mahto, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Chandan Mahto, resident of Village+Post- Simriya Ghaat Bind Toli, Thana- Baroni, District- Begusarai, a contesting candidate from 143- Teghra, in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/143/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2022

आ.अ. 157.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,169–शेखपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, के पत्र सं. 3004 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-169)शेखपुरा/7925 के जरिए अग्रेषित दिनांक 29 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्ण मुरारी कुमार, जो बिहार के169–शेखपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कृष्ण मुरारी कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कृष्ण मुरारी कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री कृष्ण मुरारी कुमार द्वारा 22 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण मुरारी कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री कृष्ण मुरारी कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 169-शेखपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कृष्ण मुरारी कुमार, निवासी-ग्राम-मनियौड़ी,पोस्ट+थाना-मेहुस, जिला-शेखपुरा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/169/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th August, 2022

O.N. 157.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 169-Sheikhpura Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.3004 submitted by the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No.

Expenditure-21/2020(Vol.-169)Sheikhpura/7925, dated 29th December,2020, Shri Krishan Murari Kumar, a contesting candidate from 169-Sheikhpura Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Krishan Murari Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Krishan Murari Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 22nd July, 2021, at the address given by Shri Krishan Murari Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sheikhpura, vide its letter no. 550/Nirvachan dated 8th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sheikhpura, in his Supplementary Report, vide its letter No. 550/Nirvachan dated 8th December, 2021 has reported that Shri Krishan Murari Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Krishan Murari Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Krishan Murari Kumar, resident of Village- Maniyoodi, Post+ Thana- Manhus, District- Sheikhpura, a contesting candidate from 169- Sheikhpura Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/169/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 158.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,234–वजीरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,गया, के पत्र सं.2477 दिनांक 16 दिसंबर,2020द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-234)वजीरगंज/7966के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुमन सौरभ, जो बिहार के234–वजीरगंजविधान सभानिर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,गया,बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री सुमन सौरभ को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री सुमन सौरभ को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री सुमन सौरभ द्वारा 16 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा अपने दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 457/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा अपने दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 457/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सुमन सौरभ ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री सुमन सौरभ निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 234-वजीरगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुमन सौरभ,निवासी-शिवपुरी कॉलोनी, रोड न.01,पोस्ट-बुनियादगंज,जिला-गया,इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/234/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 158.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 234-Wazirganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, vide letter no.2477 submitted by the District Election Officer, Gaya, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-234)Wazirganj/7966, dated 31st December,2021, Shri Suman Saurav, a contesting candidate from 234-Wazirganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Gaya, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Suman Saurav, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Suman Saurav was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 16th July, 2021, at the address given by Shri Suman Saurav, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Gaya, vide its letter no. 457/Nirvachana dated 13th September, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Gaya, in his Supplementary Report, vide its letter No. 457/Nirvachan dated 13th September, 2021 has reported that Shri Suman Saurav, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Suman Saurav, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Suman Saurav, resident of Shivpuri Colony, Road No. 01, Post-Buniyadganj, District- Gaya, a contesting candidate from 234- Wazirganj Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/234/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 159.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,142–बछवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10नवंबर,2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-142)बछवाड़ा/7737 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री मुकेश कुमार झा, जो बिहार के142–बछवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री मुकेश कुमार झा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री मुकेश कुमार झा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री मुकेश कुमार झा के पिता श्री अनिरुद्ध झा द्वारा 05 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 710 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 551 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री मुकेश कुमार झा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री मुकेश कुमार झा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 142-बछवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार झा, ग्राम-चकअहलाद समसा, पोस्ट-समसा, थाना-मंसूरचक, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/142/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 159.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 142-Bachwara Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-142)Bachwara/7737, dated 21st December,2020, Shri Mukesh Kumar Jha, a contesting candidate of Bihar from 142-Bachwara Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 142 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Mukesh Kumar Jha, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 142 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Mukesh Kumar Jha was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his father Shri Anirudh Jha on 05th August, 2021, at the address given by Shri Mukesh Kumar Jha, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 710 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 551 dated 26th April, 2021 has reported that Shri Mukesh Kumar Jha, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Mukesh Kumar Jha, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such

person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Mukesh Kumar Jha, resident of Village- Chak Ahlaad Samsaa, Post- Samsaa, Police Station- Mansurchak, District- Begusarai, a contesting candidate from 142- Bachwara Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/142/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 160.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,142–बछवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-142)बछवाड़ा/7737के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कुंदन सिंह, जो बिहार के142–बछवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कुंदन सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कुंदन सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री संदीप क.र. चन्दन द्वारा 17 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 709 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 551 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कुंदन सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री कुंदन सिंह निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 142-बछवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री कुंदन सिंह, ग्राम+पोस्ट+थाना-मनसूरचक, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/142/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 160.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 142-Bachwara Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-142)Bachwara/7737, dated 21st December,2020, Shri Kundan Singh, a contesting candidate of Bihar from 142-Bachwara Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Kundan Singh, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Kundan Singh was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Sandeep K.R. Chandan on 17th August, 2021, at the address given by Shri Kundan Singh, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 709 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 551 dated 26th April,2021 has reported that Shri Kundan Singh, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Kundan Singh, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Kundan Singh, resident of Village+Post+Police Station-Mansurchak, District- Begusarai, a contesting candidate from142- Bachwara Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/142/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 161.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,182–बांकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,पटना, के पत्र सं.4253 दिनांक 14दिसंबर,2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-182)बांकीपुर/7716 के जरिए अग्रेषित दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती उषा देवी श्रीवास्तव, जो बिहार के182–बांकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती उषा देवी श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 2 5 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती उषा देवी श्रीवास्तव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती उषा देवी श्रीवास्तव द्वारा 15 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 04 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 1342 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 04 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 1342 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती उषा देवी श्रीवास्तव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती उषा देवी श्रीवास्तव निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 182-बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती उषा देवी श्रीवास्तव, निवासी-के.पी. सरकार रोड, मीठापुर बी एरिया, पोस्ट-जी.पी.ओ., थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/182/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 161.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 182-Bankipur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2329 submitted by the District Election Officer, Patna, and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-182)Bankipur/20, dated 4th January,2021, Smt. Usha Devi Srivastav, a contesting candidate from 182-Bankipur Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Patna, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Usha Devi Srivastav, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Usha Devi Srivastav was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by her on 15th July, 2021, at the address given by Smt. Smt. Usha Devi Srivastav, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Patna, vide its letter no. 1342/Nirvachan dated 04th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Patna, in his Supplementary Report, vide its letter No. 1342/Nirvachan dated 04th December, 2021 has reported that Smt. Smt. Usha Devi Srivastav, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Smt. Usha Devi Srivastav, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Smt. Usha Devi Srivastav, resident of Village- K.P.Sarkar Road, Meethapur B. Area, Post-G.P.O., Thana- Jakanpur, Dist.- Patna, a contesting candidate from 182- Bankipur Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/182/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 162.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 202–राजपुर(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर, के पत्र सं. 2537 दिनांक 23 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-202)राजपुर(अ.जा.)/122 के जरिए अग्रेषित दिनांक 05 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अशोक पासवान, जो बिहार के 202–राजपुर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः,जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अशोक पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अशोक पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा

न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अशोक पासवान द्वारा 27 जुलाई, 2021 को प्राप्त कियागया था। अभ्यर्थीसे प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर द्वारा अपने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 70-0777 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गईहै;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बक्सर द्वारा अपने दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 70-0777 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अशोक पासवानने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगाऔर ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 202-राजपुर(अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अशोक पासवान, निवासी-ग्राम+पोस्ट-रामपुर, थाना-नावानगर,जिला-बक्सर, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/202/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 162.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 202-Rajpur(SC) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 23th December, 2020, vide letter no.2537 submitted by the District Election Officer, Buxar, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-202)Rajpur(SC)/122, dated 05th January,2021, Shri Ashok Paswan, a contesting candidate

from 202-Rajpur(SC) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Buxar, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ashok Paswan, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Ashok Paswan was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 27th July, 2021, at the address given by Shri Ashok Paswan, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Buxar, vide its letter no. 07-0777/Nirvachan dated 24th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Buxar, in his Supplementary Report, vide its letter No. 07-0777/Nirvachan dated 24th December, 2021 has reported that Shri Ashok Paswan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ashok Paswan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ashok Paswan, resident of Village + Post- Rampur, Thana-Naavnagar, District- Buxar, a contesting candidate from 202- Rajpur(SC) Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/202/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 163.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 223–औरंगाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10नवंबर,2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, के पत्र सं. 228 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-223)औरंगाबाद/38 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी,2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्देश प्र. गुप्ता, जो बिहार के 223–औरंगाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,औरंगाबाद,बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री चन्देश प्र. गुप्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री चन्देश प्र. गुप्ता को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा नप्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री चन्देश प्र. गुप्ता द्वारा 15 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 04 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या141/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 09 मार्च, 2022 के पत्र संख्या38/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री चन्देश प्र. गुप्ता ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री चन्देश प्र. गुप्ता निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययोंका लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 223-औरंगाबाद विधानस भानिर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चन्देश प्र. गुप्ता, निवासी-ग्राम+पोस्ट+थाना-जम्होर,जिला-औरंगाबाद,इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/223/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 163.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 223-Aurangabad Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 24th December,2020, vide letter no.228 submitted by the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-223)Aurangabad/38, dated 4th January,2021, Shri Chandesh Pd. Gupta, a contesting candidate from 223-Aurangabad Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Chandesh Pd. Gupta, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Chandesh Pd. Gupta was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 15th July, 2021, at the address given by Shri Chandesh Pd. Gupta, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Aurangabad, vide its letter no. 141/Nirvachan dated 04th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Aurangabad, in his Supplementary Report, vide its letter No. 38/Nirvachan dated 09th March, 2022 has reported that Shri Chandesh Pd. Gupta, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Chandesh Pd. Gupta, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Chandesh Pd. Gupta, resident of Village+Post+Thana-Jamhor,District-Aurangabad, a contesting candidate from 223- Aurangabad Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/223/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 164.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थीके निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 224–रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10नवंबर,2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10दिसंबर,2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,औरंगाबाद,के पत्र सं.228 दिनांक 24दिसंबर,2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-224)रफीगंज/37 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय कुमार, जो बिहार के 224–रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थीहैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,औरंगाबाद,बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विजय कुमारको निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा नप्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्ययका अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विजय कुमारद्वारा 06अगस्त,2021 को प्राप्त कियागया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी,औरंगाबादद्वारा अपने दिनांक 04दिसंबर,2021 के पत्र संख्या144/निर्वाचनके जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गईहै;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 05 मार्च, 2022 के पत्र संख्या32/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विजय कुमारने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री विजय कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 224-रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विजय कुमार, निवासी-ग्राम-गोह अंदर बजार,पोस्ट-गोह, जिला-औरंगाबाद, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/224/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 164.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 224-Rafiganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 24th December, 2020, vide letter no.228 submitted by the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-224)Rafiganj/37, dated 4th January,2021, Shri Vijay Kumar, a contesting candidate from 224-Rafiganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Vijay Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Vijay Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 06th August, 2021, at the address given by Shri Vijay Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Aurangabad, vide its letter no. 144/Nirvachan dated 04th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Aurangabad, in his Supplementary Report, vide its letter No. 32/Nirvachan dated 05th March, 2022 has reported that Shri Vijay Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Vijay Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Vijay Kumar, resident of Village- Goh Andar Bzaar, Post- Goh, District- Aurangabad, a contesting candidate from 224- Rafiganj Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/224/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 165.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 224–रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, के पत्र सं. 228 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-224)रफीगंज/37 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राज कुमार, जो बिहार के 224–रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजकुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजकुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राजकुमार द्वारा 12 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 04 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या142/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 05 मार्च, 2022 के पत्र संख्या 30/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजकुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री राजकुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 224-रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजकुमार, निवासी-ग्राम-धनाही, पोस्ट-मोलवीगंज पौथू, थाना-पौथू, जिला-औरंगाबाद,इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/224/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 165.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 224-Rafiganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 24th December, 2020, vide letter no.228 submitted by the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-224)Rafiganj/37, dated 4th January,2021, Shri Raj Kumar, a contesting candidate from 224-Rafiganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Raj Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Raj Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 12th August, 2021, at the address given by Shri Raj Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Aurangabad, vide its letter no. 142/Nirvachan dated 04th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Aurangabad, in his Supplementary Report, vide its letter No. 30/Nirvachan dated 05th March, 2022 has reported that Shri Raj Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Raj Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Raj Kumar, resident of Village- Dhanhahi, Post- Molviganj Pothu, Thana- Pothu, District- Aurangabad, a contesting candidate from 224- Rafiganj Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/224/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

आ.अ. 166.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 224–रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, के पत्र सं. 228 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-224)रफीगंज/37 के जरिए अग्रेषित दिनांक 04 जनवरी, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार श्री रवि शंकर कुमार, जो बिहार के 224–रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री रवि शंकर कुमारको कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री रवि शंकर कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री रवि शंकर कुमार द्वारा 04 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 04 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या143/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,औरंगाबाद द्वारा अपने दिनांक 05 मार्च, 2022 के पत्र संख्या 31/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री रवि शंकर कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री रवि शंकर कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 224-रफीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रवि शंकर कुमार, निवासी-ग्राम+पोस्ट-मदनपुर पटखौली, थाना-बगाहा, जिला-औरंगाबाद, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/224/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2022

O.N. 166.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 224-Rafiganj Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 24th December, 2020, vide letter no.228 submitted by the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-224)Rafiganj/37, dated 4th January,2021, Shri Ravi Shankar Kumar, a contesting candidate from 224-Rafiganj Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Aurangabad, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Ravi Shankar Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Ravi Shankar Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election

expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 04th August, 2021, at the address given by Shri Ravi Shankar Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Aurangabad, vide its letter no. 143/Nirvachan dated 04th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Aurangabad, in his Supplementary Report, vide its letter No. 31/Nirvachan dated 05th March, 2022 has reported that Shri Ravi Shankar Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Ravi Shankar Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Ravi Shankar Kumar, resident of Village+ Post- Madanpur Patkhooli, Thana- Bgaha,District- Aurangabad, a contesting candidate from 224- Rafiganj Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/224/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

आ.अ. 167.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 केद्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,170–बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, के पत्र सं. 3004, दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-170)बरबीघा/7924 के जरिए अग्रेषित दिनांक 29 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री दीपक कुमार शर्मा, जो बिहार के170–बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री दीपक कुमार शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री दीपक कुमार शर्मा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री शैलेन्द्र कुमार के समक्ष श्री दीपक कुमार शर्मा के घर पर 17 सितम्बर, 2021 को चिपकाया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री दीपक कुमार शर्मा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री दीपक कुमार शर्मा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 170-बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दीपक कुमार शर्मा, निवासी-रेलवे क़्वार्टर-198/B मीठापुर, पटना-80001, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/170/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2022

O.N. 167.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 170-Barbigha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, vide letter no.3004 submitted by the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter

No. Expenditure-21/2020(Vol.-170)Barbigha/7924, dated 29th December,2020, Shri Deepak Kumar Sharma, a contesting candidate from 170-Barbigha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Deepak Kumar Sharma, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Deepak Kumar Sharma was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was pasted in front of Shri Shailender Kumar on 17th September, 2021, at the address given by Shri Deepak Kumar Sharma, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sheikhpura, vide its letter no. 550/Nirvachan dated 08th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sheikhpura, in his Supplementary Report, vide its letter No.550/Nirvachan dated 08th December, 2021 has reported that Shri Deepak Kumar Sharma, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Deepak Kumar Sharma, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Deepak Kumar Sharma, resident of Railway Quarter -199/B Meethapur, Patna-800001, a contesting candidate from 170- Barbigha Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/170/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

आ.अ. 168.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,170–बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, के पत्र सं. 3004, दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-170)बरबीघा/7924 के जरिए अग्रेषित दिनांक 29 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री गोपाल कुमार, जो बिहार के170–बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री गोपाल कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री गोपाल कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री गोपाल कुमार द्वारा 20 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गोपाल कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री गोपाल कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 170-बरबीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गोपाल कुमार, निवासी-ग्राम+पोस्ट-तेउस, थाना-जयरामपुर, जिला-शेखपुरा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/170/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

विनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2022

O.N. 168.—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 170-Barbigha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, vide letter no.3004 submitted by the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-170)Barbigha/7924, dated 29th December,2020, Shri Gopal Kumar, a contesting candidate from 170-Barbigha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Gopal Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Gopal Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 20th July, 2021, at the address given by Shri Gopal Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sheikhpura, vide its letter no. 550/Nirvachan dated 08th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sheikhpura, in his Supplementary Report, vide its letter No.550/Nirvachan dated 08th December, 2021 has reported that Shri Gopal Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Gopal Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Gopal Kumar, resident of Village+Post – Taus, Thana-Jayarampur, District- Sheikhpura, a contesting candidate from 170- Barbigha Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/170/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2022

आ.अ. 169.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 केद्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,170–बरबीघाविधान सभानिर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10नवंबर,2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखादाखिल करने की अन्तिम तारीख 10दिसंबर,2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, के पत्र सं. 3004, दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-170)बरबीघा/7924 के जरिए अग्रेषित दिनांक 29 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के 170–बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राजेंद्र प्रसाद को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राजेंद्र प्रसाद को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्ययका अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा 23 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा अपने दिनांक 08 दिसंबर, 2021 के पत्र संख्या 550के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राजेंद्र प्रसाद ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री राजेंद्र प्रसाद निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 170-बरबीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राजेंद्र प्रसाद, निवासी-ग्राम-पुरनकामा, पोस्ट+थाना+जिला-शेखपुरा, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/170/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th August, 2022

O.N. 169.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 170-Barbigha Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, vide letter no.3004 submitted by the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-170)Barbigha/7924, dated 29th December,2020, Shri Rajendra Prasad, a contesting candidate from 170-Barbigha Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Sheikhpura, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Rajendra Prasad, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Rajendra Prasad was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 23rd July, 2021, at the address given by Shri Rajendra Prasad, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Sheikhpura, vide its letter no. 550/Nirvachan dated 08th December, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Sheikhpura, in his Supplementary Report, vide its letter No.550/Nirvachan dated 08th December, 2021 has reported that Shri Rajendra Prasad, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Rajendra Prasad, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Rajendra Prasad, resident of Village – Purnkaama, Post+Thana+ District- Sheikhpura, a contesting candidate from 170- Barbigha Assembly Constituency in General Election to the

Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/170/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

आ.अ. 170.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 231–टिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया, के पत्र सं. 2477 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-231)टिकारी/7967 के जरिए अग्रेषित दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती अबिता देवी, जो बिहार के 231–टिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती अबिता देवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती अबिता देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती अबिता देवी के पति श्री अनुराग सिंह द्वारा 25 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा अपने दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 456/निर्वाचन के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, गया द्वारा अपने दिनांक 08जनवरी,2022 के पत्र संख्या 30/निर्वाचन के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती अबिता देवी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अबिता देवी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 231-टिकारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अबिता देवी, निवासी-ग्राम-हरियो, डाकघर-सिविल एरौड्रम, थाना-मगध चिकित्सा, जिला-गया, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/231/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2022

O.N. 170.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 231-Tekari Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, vide letter no.2477 submitted by the District Election Officer, Gaya, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-231)Tekari/7967, dated 31st December,2020, Smt. Abita Devi, a contesting candidate from 231-Tekari Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Gaya, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Abita Devi, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Abita Devi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Anurag Singh, husband of Mrs. Abita Devi on 25th July, 2021, at the address given by candidate. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Gaya, vide its letter no. 456/Nirvachan dated 13th September, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Gaya, in his Supplementary Report, vide its letter No. 30/Nirvachan dated 08th January, 2022 has reported that Smt. Abita Devi, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Abita Devi, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Abita Devi, resident of Village- Hario, Post- Civil Aerodram, PS- Magadh Medical, District- Gaya, a contesting candidate from 231- Tekari Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/231/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

आ.अ. 171.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 56–अमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार के पत्र सं 2094 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, के पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-56)अमौर/7995 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 के जरिए अग्रेषित की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार श्री उपेंद्र यादव, जो बिहार के 56–अमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया, बिहार की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उपेंद्र यादव को कारण बताओ नोटिससं.76/बिहार/वि०स०/56/सी.ई.एम.एस.-III/2020 दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, उक्तकारण बताओ नोटिस के जरिए श्री उपेंद्र यादव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा अपने दिनांक 01 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 65/जि.नि. के जरिए आयोग को सुचना दी थी कि उक्त नोटिस श्री उपेंद्र यादव द्वारा 07 जनवरी, 2022 को प्राप्त किया गया था;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्णिया द्वारा अपने दिनांक 01 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या 65/नि.के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री उपेंद्र यादव ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री उपेंद्र यादव निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 56-अमौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री उपेंद्र यादव, निवासी-स्थान-मच्छाता, पोस्ट ऑफिस+थाना-अमौर, पिन कोड-854315, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/56/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 2022

O.N. 171.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 56-Amour Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December, 2020, vide letter no.2094 submitted by the District Election Officer, Purnea, Bihar and forwarded by the Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-56)Amour/7995, dated 31st December,2020, Shri Upendra Yadav, a contesting candidate from 56-Amour Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Purnea, Bihar Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Upendra Yadav, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice,Shri Upendra Yadav was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Purnea, vide its letter no. 65/Nirvachan dated 1st February, 2022 informed to the Commission that the said notice was received by Shri Upendra Yadav on 07th January, 2022;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Purnea, in his Supplementary Report, vide its letter No. 65/Nirvachan dated 1st February, 2022 has reported that Shri Upendra Yadav, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Upendra Yadav, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or

under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Upendra Yadav, resident of Village- Macchata,Post+Police Station- Amour,Pin Code - 854315 a contesting candidate from56- Amour Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/56/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 172.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,179–बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना,के पत्र सं. 4253 दिनांक 14 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-179)बाढ़/7712 के जरिए अग्रेषित दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री राकेश कुमार, जो बिहार के 179–बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री राकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री राकेश कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राकेश सिंह द्वारा 01 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 1318 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,पटना द्वारा अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 1318 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री राकेश कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 179-बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश कुमार, निवासी-ग्राम-पूर्वी मलाही, बाढ़ जिला-पटना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/179/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 172.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 179-Barh Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 14th December, 2020, vide letter no.4253 submitted by the District Election Officer, Patna, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-179)Barh/7712, dated 18th December,2020, Shri Rakesh Kumar, a contesting candidate from 179-Barh Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Patna, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Rakesh Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Rakesh Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Rakesh Singh on 01st October, 2021, at the address given by Shri Rakesh Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Patna, vide its letter no. 1318/Nirvachan dated 29th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Patna, in his Supplementary Report, vide its letter No.1318/Nirvachan dated 29th November, 2021 has reported that Shri Rakesh Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Rakesh Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Rakesh Kumar, resident of Village- East Malahi, Barh, District- Patna, a contesting candidate from 179- Barh Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/179/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 173.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10नवंबर, 2020थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,179–बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना, के पत्र सं. 4253 दिनांक 14 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-179)बाढ़/7712 के जरिए अग्रेषित दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती राज कुमारी, जो बिहार के179–बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती राज कुमारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती राज कुमारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती राज कुमारी द्वारा 04 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 1318 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी,पटना द्वारा अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 1318 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती राज कुमारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती राज कुमारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 179-बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती राज कुमारी, निवासी-ग्राम-सहनौरा, पोस्ट-चकनवादा, थाना-इन.टी.पी.सी., जिला-पटना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/179/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 173.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 179-Barh Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 14th December, 2020, vide letter no.4253 submitted by the District Election Officer, Patna, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-179)Barh/7712, dated 18th December,2020, Smt. Raj Kumari, a contesting candidate from 179-Barh Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Patna, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Raj Kumari, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Raj Kumari was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by her on 04th October, 2021, at the address given by Smt. Raj Kumari, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Patna, vide its letter no. 1318/Nirvachan dated 29th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Patna, in his Supplementary Report, vide its letter No.1318/Nirvachan dated 29th November, 2021 has reported that Smt. Raj Kumari, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Raj Kumari, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Raj Kumari, resident of Village- Sahnora,Post – Chaknvaada, Thana- I.N.T.P.C, District- Patna, a contesting candidate from 179- Barh Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/179/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 174.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,179–बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना, के पत्र सं. 4253 दिनांक 14 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-179)बाढ़/7712 के जरिए अग्रेषित दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती प्रतिमा सिन्हा, जो बिहार के 179–बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती प्रतिमा सिन्हा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती प्रतिमा सिन्हा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती प्रतिमा सिन्हा के पुत्र श्री चाणक्य द्वारा 16 जुलाई, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 1318 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पटना द्वारा अपने दिनांक 29 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 1318 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती प्रतिमा सिन्हा ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती प्रतिमा सिन्हा निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 179-बाढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती प्रतिमा सिन्हा, निवासी-ग्राम-5 कल्याणपुर अथमलगोला, पोस्ट+थाना-अथमलगोला, जिला-पटना, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/179/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 174.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 179-Barh Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 14th December, 2020, vide letter no.4253 submitted by the District Election Officer, Patna, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-179)Barh/7712, dated 18th December,2020, Smt. Pratima Sinha, a contesting candidate from 179-Barh Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Patna, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the

Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Pratima Sinha, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Pratima Sinha was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by his son Mr. Chanakya on16th July, 2021, at the address given by Smt. Pratima Sinha, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Patna, vide its letter no. 1318/Nirvachan dated 29th November, 2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Patna, in his Supplementary Report, vide its letter No.1318/Nirvachan dated 29th November, 2021 has reported that Smt. Pratima Sinha, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Pratima Sinha, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Pratima Sinha, resident of Village- 5 Kalayanpur Athmalgola, Post+ Thana- Athmalgola, District- Patna, a contesting candidate from 179- Barh Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/179/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 175.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,141–चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-141)चेरियाबरियारपुर/7736 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर,

2020 की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मद तमन्ना, जो बिहार के 141–चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मोहम्मद तमन्ना को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए मोहम्मद तमन्ना को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस मोहम्मद तमन्ना के भाई तौफीक आलम द्वारा 23 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 703 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 550 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मोहम्मद तमन्ना ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि मोहम्मद तमन्ना निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 141-चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मोहम्मद तमन्ना ग्राम+पोस्ट-एजनी, थाना-छौड़ाहीओ.पी., जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/141/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 175.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 141-Cheriabariyarpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-141)Cheriabariyarpur/7736, dated 21st December,2020, Mohammad Tamanna, a contesting candidate of Bihar from 141-Cheriabariyarpur Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Mohammad Tamanna, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Mohammad Tamanna was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, The said notice was received by his brother Mohammad Towfiq Alam on 23rd August, 2021, at the address given by Mohammad Tamanna, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 703 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 550 dated 26th April,2021 has reported that Mohammad Tamanna, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Mohammad Tamanna, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Mohammad Tamanna, resident of Village+Post- Ajani, Police Station- Chodahi O P, District- Begusarai, a contesting candidate from 141- Cheriabariyarpur Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/141/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 176.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़नेवाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थीके निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखेकीसही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,141–चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-141)चेरियाबरियारपुर/7736 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अमन कुमार, जो बिहार के 141–चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमन कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमन कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अमन कुमार द्वारा 19 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 702 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 550 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमन कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अमन कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 141-चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमन कुमार, ग्राम- कोरजाना, पोस्ट-बसही, भाया-मेघौल, थाना-चेरियाबरियारपुर, जिला-बेगूसराय इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/141/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 176.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 141-Cheriabariyarpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-141)Cheriabariyarpur/7736, dated 21st December,2020, Shri Aman Kumar, a contesting candidate of Bihar from 141-Cheriabariyarpur Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Aman Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Aman Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 19th August, 2021, at the address given by Shri Aman Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 702 dated 22nd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 550 dated 26th April,2021 has reported that Shri Aman Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Aman Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Aman Kumar, resident of Village- Korjana,Post- Basahi, Bhaya-Maghool, Police Station- Cheriabariyarpur, District- Begusarai, a contesting candidate from141- Cheriabariyarpur Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/141/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022

आ.अ. 177.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,141–चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-141)चेरियाबरियारपुर/7736 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री महेश यादव, जो बिहार के141–चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री महेश यादव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री महेश यादव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री महेश यादव द्वारा 17 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 701 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 550 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री महेश यादव ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री महेश यादव निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 141-चेरियाबरियारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री महेश यादव, ग्राम+पोस्ट-महेशबाड़ा, थाना-नावकोठी, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/141/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2022

O.N. 177.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 141-Cheriabariyarpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-141)Cheriabariyarpur/7736, dated 21st December,2020, Shri Mahesh Yadav, a contesting candidate of Bihar from 141-Cheriabariyarpur Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Mahesh Yadav, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Mahesh Yadav was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 17th August, 2021, at the address given by Shri Mahesh Yadav, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 701 dated 22nd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 550 dated 26th April,2021 has reported that Shri Mahesh Yadav, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Mahesh Yadav, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Mahesh Yadav, resident of Village+Post- Maheshbadha, Police Station- Naavkothi, District- Begusarai, a contesting candidate from141- Cheriabariyarpur Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/141/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

आ.अ. 178.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,147–बखरी(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-147)बखरी(अ.जा.)/7748 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय पासवान, जो बिहार के147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विजय पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विजय पासवान द्वारा 03 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 718 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 555 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विजय पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री विजय पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 147-बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विजय पासवान, ग्राम-राजोपुर, पोस्ट-कटरमाला, भाया-नावकोठी, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/147/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2022

O.N. 178.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-147)Bakhri(S.C.)/7748, dated 16th December,2020, Shri Vijay Paswan, a contesting candidate of Bihar from 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Vijay Paswan, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Vijay Paswan was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 03rd August, 2021, at the address given by Shri Vijay Paswan, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 718 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 555 dated 26th April,2022 has reported that Shri Vijay Paswan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Vijay Paswan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Vijay Paswan, resident of Village-Raajopur, Post- Katarmala, Bhaya- Naavkothi, District- Begusarai, a contesting candidate from147- Bakhri(S.C.) Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/147/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

आ.अ. 179.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-147)बखरी(अ.जा.)/7748 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री विजय पासवान, जो बिहार के147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विजय पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री विजय पासवान द्वारा 03 अगस्त, 2021 को प्राप्त कियागया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 718 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 555 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विजय पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री विजय पासवान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 147-बखरी(अ.जा.)विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विजय पासवान, ग्राम-राजोपुर, पोस्ट-कटरमाला, भाया-नावकोठी, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/147/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2022

O.N. 179.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-147)Bakhri(S.C.)/7748, dated 16th December,2020, Shri Vijay Paswan, a contesting candidate of Bihar from 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the

Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Vijay Paswan, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Vijay Paswan was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 03rd August, 2021, at the address given by Shri Vijay Paswan, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 718 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 555 dated 26th April,2022 has reported that Shri Vijay Paswan, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Vijay Paswan, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Vijay Paswan, resident of Village-Raajopur, Post- Katarmala, Bhaya- Naavkothi, District- Begusarai, a contesting candidate from147- Bakhri(S.C.) Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/147/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

आ.अ. 180.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः,जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र स. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र सं. EXP.-21/2020(खंड-147)बखरी(अ.जा.)/7748 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की

रिपोर्ट के अनुसार श्री अमित कुमार, जो बिहार के 147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अमित कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अमित कुमार द्वारा 05 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 719 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 555 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अमित कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री अमित कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 147-बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमित कुमार, मोहल्ला-पोखरिया, पोस्ट-बेगूसराय, थाना-नगर, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/147/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2022

O.N. 180.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-147)Bakhri(S.C.)/7748, dated 16th December,2020, Shri Amit Kumar, a contesting candidate of Bihar from 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Amit Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Amit Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 05th August, 2021, at the address given by Shri Amit Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 719 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 555 dated 26th April,2022 has reported that Shri Amit Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Amit Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Amit Kumar, resident of Mohala-Pokhariya, Post-Begusarai,Police Station- Nagar, District- Begusarai, a contesting candidate from147- Bakhri(S.C.) Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/147/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

आ.अ. 181.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,147–बखरी(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-147)बखरी(अ.जा.)/7748 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती अनीता देवी, जो बिहार के147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार,पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्रीमती अनीता देवी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती अनीता देवी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्रीमती अनीता देवी द्वारा 07 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 722 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 555 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्रीमती अनीता देवीने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्रीमती अनीता देवी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्यन हीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 147-बखरी(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्रीमती अनीता देवी, ग्राम+पोस्ट-सोनमा, प्रखंड-गढ़पुरा, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/147/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2022

O.N. 181.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-147)Bakhri(S.C.)/7748, dated 16th December,2020, Smt. Anita Devi, a contesting candidate of Bihar from 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Smt. Anita Devi, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Smt. Anita Devi was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 07th August, 2021, at the address given by Smt. Anita Devi, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 722 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 555 dated 26th April,2022 has reported that Smt. Anita Devi, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Smt. Anita Devi, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Smt. Anita Devi, resident of Village + Post- Sonamaa, Parkhand – Ghadpura, District- Begusarai, a contesting candidate from147- Bakhri(S.C.) Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/147/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

आ.अ. 182.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 केद्वारा की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः,147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसंबर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, के पत्र सं. 2519 दिनांक 16 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, द्वारा पत्र स. EXP.-21/2020(खंड-147)बखरी(अ.जा.)/7748 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री संजय कुमार, जो बिहार के147–बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, पटना की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री संजय कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री संजय कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री संजय कुमार द्वारा 03 अगस्त, 2021 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के पत्र संख्या 721 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बेगूसराय द्वारा अपने दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या 555 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री संजय कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग को यह समाधान हो गया है कि श्री संजय कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग कोयह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

ii. उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 147-बखरी(अ.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री संजय कुमार, ग्राम+पोस्ट-डफरपुर, भाया-मँझोल, थाना-नावकोठी, जिला-बेगूसराय, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[फा. सं. 76/बिहार/वि०स०/147/सी.ई.एम.एस.-III/2020]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2022

O.N. 182.— WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020. As per the schedule, the date of counting of votes was 10 November, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the report dated 16th December,2020, vide letter no.2519 submitted by the District Election Officer, Begusarai, Bihar and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Bihar vide their letter No. Expenditure-21/2020(Vol.-147)Bakhri(S.C.)/7748, dated 16th December,2020, Shri Sanjay Kumar, a contesting candidate of Bihar from 147-Bakhri(S.C.) Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Begusarai, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show-Cause notice, dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Shri Sanjay Kumar, for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 25th June, 2021, Shri Sanjay Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by him on 03rd August, 2021, at the address given by Shri Sanjay Kumar, The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Begusarai, vide its letter no. 721 dated 23rd September,2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Begusarai, in his Supplementary Report, vide its letter No. 555 dated 26th April,2022 has reported that Shri Sanjay Kumar, has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses till date. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Sanjay Kumar, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(i) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(ii) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Sanjay Kumar, resident of Village+Post – Dafarpur, Bhaya-Manjhool, Thana- Naavkothi, District- Begusarai, a contesting candidate from147- Bakhri(S.C.) Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/BR-LA/2020/147/CEMS-III]

By Order

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

आ.अ. 183.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/एएस-एलए/2021 के अनुसरण में 54-गौहाटी पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 54-गौहाटी पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्समय विद्यमान वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा विलंब से लेखा प्रस्तुत करने की किसी भी घटना को 31 जुलाई, 2021 तक माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से दिनांक 15.09.2021 के अपने पत्र सं. ईएलई.283/2021/58 के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) की दिनांक 27.05.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री रक्तिमावा स्वामी, जो असम के 54-गौहाटी पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री रक्तिमावा स्वामी, को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएस-एलए/54/2021/सीईएमएस-I, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री रक्तिमावा स्वामी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) जिला को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो), जिला ने बताया है कि श्री रक्तिमावा स्वामी को उक्त नोटिस दिनांक 31.12.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम ने पत्र सं. ईएलई. 323/2021/308, दिनांक 12.05.2022 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) की अनुपूरक रिपोर्ट सं. के(एम)ईएल-113/2021/35, दिनांक 17 जनवरी, 2022 अग्रेषित की और यह कहते हुए बताया कि श्री रक्तिमावा स्वामी ने कोई अभ्यावेदन या मूल वॉउचरों के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के

सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री रक्तिमावा स्वामी ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यत:, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है श्री रक्तिमावा स्वामी निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम राज्य के 54-गौहाटी पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री रक्तिमावा स्वामी, मकान सं. 91 पूर्वांचल हाउसिंग कॉम्पलैक्स, कौशिक अपार्टमेंट बोरठाकुर मिल रोड, डाकघर उलूबाड़ी, थाना पलटनबाजार, गौहाटी-781007, कामरूप मेट्रो, असम इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एएस-एलए/2021/सीईएमएस-I]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2022

O.N. 183.— WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for 54-Guwahati West Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for 54-Guwahati West Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 27-05-2021 of the DEO, Kamrup (Metro), under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021, Sh. Raktimava Swami, a contesting candidate from 54-Guwahati West Assembly Constituency of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AS-LA/53/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India Sh. Raktimava Swami for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Sh. Raktimava Swami was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Kamrup (Metro), District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kamrup (Metro), District, has reported that the said notice was served to Sh. Raktimava Swami on 31.12.2021; and

WHEREAS, the CEO, Assam vide letter no ELE.323/2021/308, dated 12.05.2022 forwarded the District Election Officer, Kamrup (Metro), Supplementary Report No.K(M)EL-113/2021/35 dated 17th January, 2022 and reported stated that Sh. Raktimava Swami has not submitted any representation of a statement of correct account of election expenses duly signed alongwith original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, Sh. Raktimava Swami has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Raktimava Swami has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Raktimava Swami, H.No.91 Purbanchal Houseing C omplex, Kaushik Apartment Borthakur Mill Road, P.O.Ulubari, P.S. Paltanbazar, Gauhati-781007, Kamrup Metro, Assam.and a contesting candidate in 54-Guwahati West Assembly Constituency of the State of Assam in the General Election to the Legislative Assembly 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I]

By Order

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

आ.अ. 184.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. 464/एएस-एलए/2021 के अनुसरण में 53-गौहाटी पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए असम विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2021 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 53-गौहाटी पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2021 का परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई, 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 01 जून, 2021 थी; और

यतः, आयोग ने कोविड-19 की तत्समय विद्यमान वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अभ्यर्थी द्वारा विलंब से लेखा प्रस्तुत करने की किसी भी घटना को 31 जुलाई, 2021 तक माफ करने का निर्णय लिया; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम से दिनांक 15.09.2021 के अपने पत्र सं. ईएलई.283/2021/58 के द्वारा प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) की दिनांक 26.05.2021 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री दिवस फूकन, जो असम के 53-गौहाटी पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथापेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री दिवस फूकन को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एएस-एलए/53/2021/सीईएमएस-I, दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री दिवस फूकन को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) जिला को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो), जिला ने बताया है कि श्री दिवस फूकन को उक्त नोटिस दिनांक 31.12.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम ने पत्र सं. ईएलई.323/2021/308, दिनांक 12.05.2022 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, कामरूप (मेट्रो) की अनुपूरक रिपोर्ट सं. के(एम)ईएल-113/2021/35, दिनांक 17 जनवरी, 2022 अग्रेषित की और यह कहते हुए बताया कि श्री दिवस फूकन ने कोई अभ्यावेदन या मूल वॉउचरों के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री दिवस फूकन ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है श्री दिवस फूकन निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि असम राज्य के 53-गौहाटी पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2021 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री दिवस फूकन, हींगराबाड़ी, दिसपुर गौहाटी-6 असम कामरूप मेट्रो, असम इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/एएस-एलए/2021/सीईएमएस-I]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th September, 2022

O.N. 184.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Assam, 2021 for 53-Guwahati East Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/AS-LA/2021, dated 12th March, 2021; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for 53-Guwahati East Assembly Constituency of Assam, 2021 was declared by the Returning Officer on 02nd May, 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 01st June, 2021; and

WHEREAS, the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid-19, decided to condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July, 2021; and

WHEREAS, as per the report dated 26-05-2021 of the DEO, Kamrup (Metro), under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, received from the CEO, Assam vide his letter no. ELE..283/2021/58, dated 15.09.2021, Sh. Diwas Phukan, a contesting candidate from 53-Guwahati East Assembly Constituency of Assam, 2021 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/AS-LA/53/2021/CEMS-I, dated 14th October, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India Sh. Diwas Phukan, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, Sh. Diwas Phukan, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, Kamrup (Metro), District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, Kamrup (Metro), District, has reported that the said notice was served to Sh. Diwas Phukan, on 31.12.2021; and

WHEREAS, the CEO, Assam vide letter no ELE.323/2021/308, dated 12.05.2022 forwarded the District Election Officer, Kamrup (Metro), Supplementary Report No.K(M)EL-113/2021/35 dated 17th January, 2022 and reported stated that Sh. Diwas Phukan has not submitted any representation of a statement of correct account of election expenses duly signed alongwith original vouchers etc. Further, after receipt of the said notice, Sh. Diwas Phukan has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh. Diwas Phukan has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Diwas Phukan, Hengrabari, Dispur, Gauhati-6 Assam and a contesting candidate in 53-Guwahati East Assembly Constituency of the State of Assam in the General Election to the Legislative Assembly 2021 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/AS-LA/2021/CEMS-I]

By Order

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.14 16:20:24 +05'30'